

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:-

868

/ 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 11-8-2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:-

निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली में राज्ययोजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यातर्पण।

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 46/FP/UK/ROAD/38601/2019 दिनांक 24-07-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिनांक 29-07-2021 को वृक्षों की संख्या को न्यून करने तथा वैकल्पिक संरक्षण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वैकल्पिक संरक्षण पर विचार किया गया वैकल्पिक संरक्षण में भूस्खलन की संभावना एवं ग्रामीणों द्वारा आपत्ति की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः जनहित में प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु संस्तुति की जाती है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614
Email:-eepwdgauchar@gmail.com
पत्रांक— 1399/1सी0 वन
दिनांक 30/07/2021
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
रजिस्ट्रेशन नं० 841
फाइल नम्बर 121
प्राप्त दिनांक 04-8-21

विषय:-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.940 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक सं०— 46/FP/UK/ROAD/3601/2019 दिनांक 01.7.2021, आपका पत्रांक सं०— 417/12-1 दिनांक 23.7.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक सं०— 1338/1सी0 वन दिनांक 24.7.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के अनुपालन में अवगत कराना है कि जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा मोटर मार्ग का पुनः संयुक्त निरीक्षण कर सुस्पष्ट आख्या 3 प्रतियों में प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। जिसके क्रम में दिनांक 29.7.2021 को प्रयोक्ता एजेन्सी, राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

अतः महोदय को संयुक्त निरीक्षण आख्या की 3 मूल प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु स्वीकृति की संस्तुति करने की कृपा करें।

संलग्न— संयुक्त निरीक्षण आख्या 3 मूल प्रतियों में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

पत्रांक—
/1सी0 वन
तददिनांक

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न— संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति।

प्रतिलिपि, अधीक्षण अभियन्ता 7वाँ वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न— संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति।

प्रतिलिपि, उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न— संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति।

प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

संयुक्त निरीक्षण आयोग

सन्दर्भ - आजीव वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गौरीचर का पत्रांक-417/12-1 दिनांकित 23-7-2021

आज दिनांक 29/07/2021 को नि.ख. लौ.नि. वि. गौचर की तरफ से इं. अमित कुमार पटेल, सहायक अभियंता एवं इं. प्रतीक अग्रवाल, अपर सहायक अभियंता एवं वन विभाग की तरफ से श्री पंकज ध्यानी, वन दौलाधिकारी धनपुर रेंज तथा राजस्व विभाग की तरफ से श्री हरेश चन्द्र पोखरीवाल, राजस्व उप निरीक्षण-बैनाली " मा.मु.छी. सं- 1471/2015 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमौली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मीटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु " संयुक्त निरीक्षण हेतु उपस्थित हुए। संयुक्त निरीक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

- ① प्रस्तावित ग्राम गूगल मैप (Google Map) में पूर्व से ही निर्मित 'कर्णप्रयाग नौटी-पैठाणी मीटर मार्ग' से जुड़ा हुआ है ऐसा प्रदर्शित होता है परन्तु कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मो. मार्ग का उद्देश्य मुख्यतः पैठाणी (जिला-पौड़ी) की जोड़ने का है जो कि किमी. 27 में आंशिक परिवार की सुविधा पहुँचाता है तथा ग्राम धानई जिसकी जनसंख्या लगभग 200 है मुख्यतः पूर्व में निर्मित मीटर से काफी ऊँचाई पर स्थित है जिस कारण मीटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता है जिससे ग्रामीणों की मूल-भूत सुविधा का लाभ मिल सके।
- ② प्रस्तावित मीटर मार्ग वन पंचायत भूमि से होकर जा रही है न कि आच्छात वन भूमि से। उपर्युक्त वन भूमि की दूरी सम्बन्धित मीटर मार्ग से लगभग 1.50 किमी. है।
- ③ वृक्षों के पातन में न्यूनता लाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का प्रयास किया गया परन्तु दूसरी ग्राम सभा द्वारा विवाद तथा मार्ग पर स्लाइडिंग, जौन व ग्रामीणों के आपत्ति के कारण सम्भव नहीं हो सका। प्रस्ताव में चयनित संरक्षण ही सर्वोत्तम है जिसमें वृक्षों की सहमति भी है तथा तकनीकी दृष्टि से भी स्लाइडिंग जौन इत्यादि नहीं है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्ताव सं- FP/UK/ROAD/38601/2019 के नवनिर्माण हेतु स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

(हस्ताक्षर)
29/7/21

(इं. प्रतीक अग्रवाल)
अपर सहायक अभियंता

(हस्ताक्षर)
29/07/21

(इं. अमित कुमार पटेल)
सहायक अभियंता

(हस्ताक्षर)
29/07/21

(श्री हरेश चन्द्र पोखरीवाल)
राजस्व उपनिरीक्षक

(हस्ताक्षर)
29/7/2021

(श्री पंकज ध्यानी)
वन दौलाधिकारी